न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 18 / 2025

उनवान

1. सुभाष चन्द पुत्र मोहनलाल, उम्र वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी जवानपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०।

– प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र माधो उर्फ माधा
2. सीताराम पुत्र माधो उर्फ माधा
3. कृष्ण पुत्र जगदीश,
4. महावीर प्रसाद पुत्र गंगासहाय,
5. यादराम पुत्र गंगासहाय,
6. मोहनसिंह पुत्र भगतावर,
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र भगतावर,
8. हरिसिंह पुत्र भगतावर,
9. रामजीलाल पुत्र सरदारा,
10. हंसराज पुत्र जगदीश,
11. अर्जुन लाल पुत्र छोट्या,
12. मक्खनलाल पुत्र छोट्या,
13. रतनलाल पुत्र छोट्या,
14. सरदारमल पुत्र छोट्या
15. कृष्ण डोई पुत्र मूलचन्द,
16. ममता पुत्री मूलचन्द,
17. रूडी देवी पत्नी मूलचन्द,
18. नाथू पुत्र भंवरा
19. मूंगी देवी पत्नी छोटू
20. मामराज पुत्र सेडू,
21. केशरदेवी पुत्री मन्नारा
22. धोलाराम पुत्र मन्नाराम,
23. मिश्री देवी पुत्री मन्नाराम
24. रामजीलाल पुत्र मन्नाराम,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

25. लाडा देवी पुत्री मन्नाराम,
26. सन्ती देवी पुत्री मन्नाराम,
27. तीजा देवी पुत्री गंगाराम,
28. भगोती देवी पुत्री गंगाराम,
29. मालीराम उर्फ मालाराम पुत्र गंगाराम
30. रामचन्द्र पुत्र गंगाराम,
31. सुणी देवी पुत्री गंगाराम,
32. भोमाराम पुत्र पांचूराम,
33. रूकमणी पत्नी मोहनलाल,
34. महादेव पुत्र गोदा.

समस्त वयस्क, समस्त जाति गुर्जर, समस्त निवासी जवानपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०

35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

— अप्रार्थी /अनआवेदक

प्रार्थना पत्र बाबत् नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा —251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक :—15/4/26

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि : प्रार्थी / आवेदक की ओर से प्रारुप में आवेदन निम्न प्रकार पेश है:—यह कि मैं आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रहा हूँ तथा खातेदार अभिधारी है और मैं मेरी जोत में पहुँच के प्रयोजन के लिये खातेदारान् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के खसरा नम्बर 706/0.2000 हैक्टेयर वाकै ग्राम जवानपुरा धाबाई व अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 20 के खसरा नम्बर 685/2149/0.0700, 705/0.0300, 684/0.3100 वाकै ग्राम जवानपुरा धाबाई व अप्रार्थीगण संख्या 21 लगायत 34 के खसरा नम्बर 697/0.2000, 698/0.1300, 691/0.1700, 692/0.1600 हैक्टेयर वाकै ग्राम जवानपुरा धाबाई पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, भू. अभि. नि० रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज० की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते हैं। इस लिये मैने राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 के अधिनियम संख्या 3) क धारा संख्या 251 (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टिया निम्नानुसार है :—

आवेदक/आवेदकों का नाम पिता/पति का नाम आयु

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

सुभाष चन्द पुत्र मोहनलाल, उम्र वर्ष जाति गुर्जर पूरा पता ग्राम जवानपुराधावाई, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज०

1. जोत की विशिष्टियां जिनके लिये आवेदन किया है–

(क) उपखण्ड का नाम शाहपुरा, ग्राम जवानपुराधावाई जिसमें जोत स्थित है।

(ख) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित आवेदक के खसरा नम्बर :–

खसरा नंबर 706/0.2000, 705/0.0300, 697/0.2000, 698/0.1300, 692/0.1600. 691/0.1700, 684/0.3100, 685/2149/0.0700 में से रास्ता के रूप में लेने के लिए व वर्तमान में रास्ता के रूप में काम में लेते आ रहे है जिसमें आगे डामर की सडक जवानपुरा मैन रोड अवस्थित है। रास्ता व आवागमन में अप्रार्थीगण की जोत के अलावा अन्य रास्ता नहीं है।

3.अन्य खातेदारों की जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित भूमिगत पाईप लाईन बिछाने / नया मार्ग खोलने/किसी विधमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने आशय रखता है:–

(क) नाम पिता/पति का नाम आयु

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 35

(ख) पूरा पत्ता:– आवेदन के शीर्षक में वर्णित किया गया है।

(ग) उपखण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम घृति स्थित है उपखण्ड का नाम स्थित है ग्राम जवानपुरा धाबाई, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। खसरा नम्बर 706/0. 2000, 705/0.0300, 697/0. 2000, 698/0.1300, 692/0.1600, 691/0.1700, 684/0.3100, 685/2149/0.0700 में से प्रार्थी की जोत के खसरा नम्बर 708 के लगते हुये है।

(घ) एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा नम्बरखसरा नम्बर व क्षेत्रफल 706/0.2000, 705/0.0300, 697/0.2000, 698/0.1300, 692/0.1600, 691/0.1700, 684/0.3100, 685/2149/00700

अन्त में निवेदन किया कि श्रीमान जी उपखण्ड (घ) के खसरा नम्बर अप्रार्थीगण के खातेदारी में अवस्थित है जो प्रार्थी की कृषि जोत से लगते हुये है उक्त खसरा नम्बर 708 के लगते हैं तथा प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिये खसरा नम्बर खसरा नम्बर 706/0.2000. 705/0. 0300, 697/0.2000, 698/0.1300, 692/0.1600, 691/0. 1700. 684/0.3100, 685/2149/0.0700 के अलावा कोई नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर में से प्रार्थी की कोई अन्य रास्ता जोत खसरा नम्बर 708 तक 16 फुट चौडाई व लगभग 200 फुट लम्बाई का प्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 708 तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी ने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल रंग से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

अप्रार्थीगण को वर्तमान सरकारी दर से असहमत होने प्रार्थी / अप्रार्थीगण को तय शुदा डी.एल.सी. राशि अदा कर देगें तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को प्रस्तावित नक्शा में हल्के तोतिया रंग से चिन्हित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थ का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 34 की तामील प्राप्त हुई। बाद तामील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 34 अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2026/529 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुए तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि " प्रार्थी के खसरा नंबर 708 तक पहुँच हेतु उपयुक्त एवं लघुत्तम दूरी का रास्ता डामर सड़क से खसरा नंबर 685/2149 रकबा 0.07 है0 में से 185 व0मी0, 684 रकबा 0.31 है0 में से 220 व0मी0, 691 रकबा 0.17 है0 में से 45 व0मी0, 692 रकबा 0.16 है0 में से 100 व0मी0, 698 रकबा 0.13 है0 में से 65 व0मी0, 697 रकबा 0.20 है0 में से 80 व0मी0, 696 रकबा 0.17 है0 में से 84 व0मी0, 705 रकबा 0.03 है0 में से 150 व0मी0, 706 रकबा 0.20 है0 में से 85 व0मी0, 707 रकबा 0.47 है0 में से 75 व0मी0 भूमि प्रस्तातिव संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ते हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार रास्ते हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 1089 वर्ग मीटर अर्थात 0.1089 है0 है। "

उपर्युक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 708 तक पहुंच हेतु उपयुक्त एवं लघुत्तम दूरी का रास्ता संलग्न रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है। चूंकि प्रार्थीगण ने अपनी जोत तक पहुंचने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पेश किया है जिसको

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम जवानपुरा धाबाई, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के आराजी खसरा नंबर 708 रकबा 0.0900 है0 की जोत तक पहुंचने हेतु आराजी खसरा नंबर 685/2149 रकबा 0.07 है0 में से 185 व0मी0, 684 रकबा 0.31 है0 में से 220 व0मी0, 691 रकबा 0.17 है0 में से 45 व0मी0, 692 रकबा 0.16 है0 में से 100 व0मी0, 698 रकबा 0.13 है0 में से 65 व0मी0, 697 रकबा 0.20 है0 में से 80 व0मी0, 696 रकबा 0.17 है0 में से 84 व0मी0, 705 रकबा 0.03 है0 में से 150 व0मी0, 706 रकबा 0.20 है0 में से 85 व0मी0, 707 रकबा 0.47 है0 में से 75 व0मी0 भूमि कुल रकबा 0.1089 है0 अर्थात 1089 वर्ग मीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.